नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई एवं प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थीया का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा तरनाऊ के खाता स. 748 खसरा नम्बर 667 रकबा 0.9470 हैक्ट. तथा ख. न. 671 रकबा 0.8094, में दर्ज रामभगवती पुत्री चेनाराम के स्थान रामभक्ति पुत्री स्व. चेनाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बावत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी 1. के आधार कार्ड नम्बर 8534 5370 1161 में प्रार्थी का नाम रामभक्ति पुत्री स्व. चेनाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार रामभगवती पुत्री चेनाराम के स्थान पर रामभक्ति पुत्री स्व. चेनाराम किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा तरनाऊ के खाता स. 748 खसरा नम्बर 667 रकबा 0.9470 हैक्ट. तथा ख.न. 671 रकबा 0.8094 में दर्ज रामभगवती पुत्री चेनाराम के स्थान पर रामभक्ति पुत्री स्व. चेनाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा तरनाऊ के खाता स. 748 खसरा नम्बर 667 रकबा 0.9470 हैक्ट. तथा ख.न. 671 रकबा 0.8094, **में दर्ज नाम** रामभगवती पुत्री चेनाराम **के स्थान पर** रामभक्ति पुत्री स्व. चेनाराम **दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 13-07-2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल